

--:आदेश:--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 2016 एवं 2017 बैच के असिस्टेंट, कमिश्नर एवं वाणिज्यकर अधिकारियों को आदेश स0 3213 दिनांक 13.10.2020 द्वारा प्रशिक्षण कोर्स एवं रिफ्रेशर कोर्स एवं डिजीटल प्लेटफार्म/एप (माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग एप) के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु दिनांक 19.10.2020 से प्रारम्भ होने वाले **Basic foundation** हेतु निम्न प्रकार नामित किया जाता है: उक्त आदेश के क्रम में निम्न अधिकारियों को भी नामित किया जाता है।

क0 स0	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान सम्बद्धीकरण का स्थान
1.	श्री शिव प्रकाश सिंह	नव नियुक्त वाणिज्यकर अधिकारी।	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर अयोध्या जोन अयोध्या।
2.	श्री राम अवध वर्मा	वाणिज्यकर अधिकारी (मनोरंजन कर)	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ
3.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	वाणिज्यकर अधिकारी (मनोरंजन कर)	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर अलीगढ़ जोन अलीगढ़।
4.	श्रीमती अर्चना	वाणिज्यकर अधिकारी (मनोरंजन कर)	सम्बद्ध ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपाल) वाणिज्यकर मथुरा संभाग मथुरा।

समस्त संबंधित अधिकारी अपने लोकेशन से मोबाईल, लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप जिसमें वेबकैम हो के माध्यम से कनेक्ट होंगे। यदि किसी अधिकारी को कनेक्ट होने में कोई समस्या आती है तो जोनल एडीशनल कमिश्नर के कार्यालय से ऑनलाईन कनेक्ट हो सकते हैं।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी अपने वर्तमान / सम्बद्धता के स्थान से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

- आधारभूत/व्यावसायिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- आदेश स0 3213 दिनांक 13.10.2020 द्वारा जारी प्रशिक्षण के क्रमांक 02 पर श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा प्रशिक्षण पूर्व में पूर्ण कर लिया गया है अंत उन्हें उक्त प्रशिक्षण से अवमुक्त किया जाता है। उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठोंकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ को उनके पत्र संख्या 779 वाणिज्य कर दिनांक 08-10-2020 के क्रम में प्रशिक्षु अधिकारी की सूची ई-मेल आई0डी0/मोबाईल नं0 के साथ संलग्न सूची इस आंशय से प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त अधिकारियों को एप के माध्यम से गुप का गठन कर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जोन में सम्बद्ध नव नियुक्त असिस्टेन्ट कमिश्नर्स एवं नव नियुक्त/प्रोन्नत वाणिज्यकर अधिकारियों को दिनांक-19.10.2020 से प्रारम्भ हो रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु तत्काल अपने स्तर से भी प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। नव प्रोन्नत वाणिज्यकर अधिकारियों की ई-मेल आईडी0/मोबाईल नम्बर, निदेशक, वाणिज्यकर वाणिज्यकर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ को तत्काल अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
7. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट/ EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. संबन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



15 10 - 2020

(डी0के0सचान)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।